प्रेस नोट 31/10/2023

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना कोपागंज पुलिस दिनांक 30.10.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर काछी कला हाईवे अण्डर पास के नीचे से अलाउद्दीन पुत्र स्व0 जमील निवासी बैरिया टोला थाना बड़हलगंज गोरखपुर के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 239/23 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 31.10.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना घोसी पुलिस द्वारा नंदवासरायल अंडरपास से मु0अ0सं0 459/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 में वांछित अभियुक्त दिलीप सोनकर पुत्र छोटेलाल निवासी करकटही थाना खुखुन्दवा जनपद देवरिया, थाना मधुबन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 259/23 धारा 376,366,406,506 भादवि में वांछित अभियुक्त चन्दन पुत्र शिवप्रसाद निवासी नई सड़क थाना निजामाबाद आजमगढ़ व थाना कोतवाली पुलिस द्वारा रोडवेज मऊ के पास से मु0अ0सं0 392/23 धारा 366,376 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त शारिफ पुत्र मटरु निवासी पिछवाड़ा थाना हसनगंज जनपद उन्नाव व सदर अस्पताल के पास से मु0अ0सं0 391/23 धारा 307,324,504,506 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त रवीन्द्र चौरसिया पुत्र राम आशीष निवासी बुनाई विद्यालय थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत मारपीट में दोषी 03 अभियुक्तों को 03–03 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹3000–3000 के अर्थदण्ड से किया गया दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत आज दिनांक 31.10.2023 को माननीय विशेष न्यायाधीश एससी/एटी एक्ट जनपद मऊ द्वारा मु0अ0सं0 358/2005 धारा 323,325,504,506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्तगण मनोज पाण्डेय पुत्र कृष्ण मोहन, गुनगुन पाण्डेय पुत्र चन्द्रशेखर व मो0 इलियास पुत्र मो0 मुख्तार निवासीगण उसरी पिपरा थाना मधुबन जनपद मऊ को 03–03 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹3000–3000/– के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सतेन्द्र नाथ राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उपनिरीक्षक सुनील मलिक, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार, आरक्षी कमलेश भारती का सराहनीय योगदान रहा।

आज 31 अक्टूबर 2023 को सरदार–वल्लभभाई–पटेल की जयंती राष्ट्रीय–एकता–दिवस के अवसर पर पुलिस लाईन मऊ के प्रांगण में **पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय द्वारा लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया तथा राष्ट्रीय एकता, अखण्डता व सुरक्षा की शपथ दिलाई गई।** इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुये बताया गया कि सरदार पटेल का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने आजाद भारत में बिखरी हुई रियासतों का विलय करते हुए एकता के सूत्र में बाधा। उन्होंने छोटे बड़े राजाओं, नवाबों और रजवाड़े खत्म करते हुए उन्हें भारत सरकार के अधीन करना आसान नहीं था लेकिन बिना किसी जंग के सरदार पटेल ने 562 रियासतों का भारत संघ में विलय कराया। हम सभी को उनके पड़कर आत्मसाद करना चाहिये तथा अपने बच्चों को भी बताने हेत प्रेरित किया गया। साथ ही साथ

अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्री द्वारा पुलिस कार्यालय व समस्त थानों पर राष्ट्रीय एकता व अखण्डता की शपथ दिलायी गयी।

उक्त के कम में प्रातः पुलिस लाईन मऊ से पोस्टर/बैनर के साथ ''रन फॉर यूनिटी'' जागरुकता रैली निकाली गई जिसमें पुलिसकर्मियों तथा अन्य लोगों ने प्रतिभाग किया जो पुलिस लाईन मऊ गेट से रवाना होकर मऊ नगर क्षेत्र के गाजीपुर तिराहा, सारहू चौकी होते हुये मिर्जाहादीपुर तिराहा से वापस गाजीपुर तिराहे पर समाप्त हुई।